राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 455/2025

उग्रसेन बैरवा —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. उपायुक्त एवं शासन उप सचिव–II, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.01.2025
आदेश की दिनांक : 30.01.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीताराम भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति बांदीकुई, दौसा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से पंचायत समिति अटरू, बारां स्थानांतरण कर दिया गया लेकिन अपीलार्थी के स्थान पर किसी अन्य कार्मिक का पदस्थापन नहीं किया गया अर्थात पंचायत समिति बांदीकुई में पूर्व में ही एक पद रिक्त था और एक पद अपीलार्थी का रिक्त हो गया। अपीलार्थी का वर्तमान स्थानान्तरण किये जाने का कोई भी प्रशासनिक कारण उपलब्ध नहीं है। केवल मात्र अपीलार्थी को परेशान करने की दृष्टि से स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी का पुत्र जिसकी उम्र 12 वर्ष थी, जिसकी दिनांक 22.06.2015 को दुर्घटना में मृत्यु हो गयी और अपीलार्थी के दो पुत्रिया है जिनकी उम्र 7 वर्ष व 6 वर्ष है। अपीलार्थी की पत्नी मानसिक रोग से पीड़ित है जिसके कारा अपीलार्थी को अपनी पत्नी व बच्चियों की देखभाल करनी पड़ती है उनकी देखभाल करने वाला अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई नहीं है। अपीलार्थी के पुत्र का मुत्यु प्रमाण पत्र अनुलग्नक–5 पर उपलब्ध है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को सहायक विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति बांदीकुई, दौसा में कार्य करने दिया जावे।

हमने अपीलार्थी की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को पंचायत समिति बांदीकुई, दौसा से पंचायत समिति अटरू, बारां स्थानान्तरित कर दिया गया। अपीलार्थी के पुत्र की दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है तथा अपीलार्थी के दो छोटी पुत्रिया है और अपीलार्थी की पत्नी मानसिक रोग से पीड़ित है। उक्त स्थिति के दृष्टिगत प्रकरण में हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी दो सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दो सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी की उक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत नियमानुसार नियत समयावधि में अभ्यावेदन का निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीताराम भाले)
अध्यक्ष